

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /2353 /2019


दिनांक : 16.11.2019

श्री देवेन्द्र कच्छवाह (RJ0018), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को दिनांक 01.11.2019 से 02.11.2019 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 03.11.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री कच्छवाह की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा/विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण )

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/11/2001/10877

दिनांक : 16.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 8279 दिनांक 04.11.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री देवेन्द्र कच्छवाह (RJ0018), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा ।

  
16.11.2019  
सहायक रजिस्ट्रार